[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 40/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-:

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम संख्या 502 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"डिजीटल इमेज विडियो कैमरा, जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरे या कैमरा मॉड्यूल्स से भिन्न हों";

(ii) सूची 20 में, जहां-जहां भी शब्द "कनेक्टर्स" आएं हों, वहां-वहां इसके स्थान पर "कनेक्टर्स जो कि सेलुलर मोबाइल फोन के कनेक्टर्स से भिन्न हैं" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा.सं.354/20/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 को सा.का.नि. संख्या 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं0 32/2018-सीमा शुल्क, तारीख 23 मार्च, 2018 सा.का.नि. 275 (अ), तारीख 23 मार्च, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है ।